भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 234

<u>दिनांक 02 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

एपीडा के लिए निधि

234. श्री दर्शन सिंह चौधरी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए पर्याप्त बजट की आवश्यकता है ताकि यह निर्यातकों को अधिक वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और बाजार पहुँच प्रदान कर सके और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) किसानों और निर्यातकों को तकनीकी और वित्तीय सहायता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है;

(ग) निर्यातकों और किसानों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों, गुणवत्ता नियंत्रण और विपणन रणनीतियों के संबंध में अधिक उन्नत और संकेंद्रित प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना क्या है; और

(घ) निर्यातकों को नए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचने में मदद करने के लिए एपीडा की बाजार विकास योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) एपीडा अधिनियम, 1985 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जिसे अपने अनुसूचित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का दायित्व सौंपा गया है। इन उत्पादों में ताजे फल और सब्जियों, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों और पशु खाद्य उत्पादों की लगभग 800 टैरिफ लाइने शामिल हैं और 17 उत्पाद श्रेणियां शामिल हैं। एपीडा बासमती

चावल का पंजीकृत स्वामी है और जैविक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के कार्यान्वयन के लिए सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है।

अपने अनुसूचित उत्पादों के संबंध में सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए, पर्याप्त निधियों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए एपीडा आंतरिक जुटाव, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं के साथ अभिसरण और आगामी 16वें वित्त आयोग चक्र (2026-31) के तहत सरकार से निधियाँ प्राप्त करने के माध्यम से अपने फंड्स और संसाधनों को बढ़ाने पर काम कर रहा है।

(ख) और (ग) किसानों, एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन), निर्यातकों सहित कृषि-निर्यात मूल्य श्रृंखला में हितधारकों की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए, एपीडा ने अपने प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पहल को बढ़ाया है। राज्य सरकार की एजेंसियों, कृषि विज्ञान केंद्रों, आईसीएआर (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद), अनुसंधान संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों और एनआईएफटीईएम (राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान), सीएफटीआरआई (केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान) आदि जैसे संस्थानों के समन्वय में वास्तविक और हाईब्रिड मोड में केंद्रित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सत्र चलाए जा रहे हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों, आयात करने वाले देश की आवश्यकताओं, बेहतर कृषि अभ्यासों, गुणवत्ता नियंत्रण, बेहतर पैकेजिंग, विपणन रणनीतियों आदि पर संवेदनशीलता बढ़ाई जा सके। वर्तमान वित्त वर्ष में, अब तक, लगभग 1 लाख हितधारकों की भागीदारी के साथ पूरे भारत में 900 से अधिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सत्र आयोजित किए गए हैं।

(घ) एपीडा अपने मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से अपने हितधारकों से साप्ताहिक आधार पर उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने और समस्याओं के समाधान हेतु संपर्क करता है। बाजार विकास घटक के संबंध में, व्यापार मेलों और क्रेता-विक्रेता बैठकों के प्रतिभागियों (प्रदर्शकों, खरीदारों आदि) से प्रतिक्रिया प्राप्त करने की एक प्रणाली मौजूद है, ताकि एपीडा की भागीदारी को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। आगामी 16वें वित्त आयोग चक्र (2026-31) में योजना और उसके दिशानिर्देशों में संशोधन और अद्यतन के लिए बाजार विकास सहित सभी योजना घटकों के लिए विस्तृत प्रतिक्रिया भी प्राप्त की गई है।

*****

भारत सरकार	**लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	**अतारांकित प्रश्न सं. 234**
वाणिज्य विभाग	

<u>दिनांक 02 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

एपीडा के लिए निधि

234. श्री दर्शन सिंह चौधरी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए पर्याप्त बजट की आवश्यकता है ताकि यह निर्यातकों को अधिक वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और बाजार पहुँच प्रदान कर सके और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) किसानों और निर्यातकों को तकनीकी और वित्तीय सहायता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है;

(ग) निर्यातकों और किसानों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों, गुणवत्ता नियंत्रण और विपणन रणनीतियों के संबंध में अधिक उन्नत और संकेंद्रित प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना क्या है; और

(घ) निर्यातकों को नए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचने में मदद करने के लिए एपीडा की बाजार विकास योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) एपीडा अधिनियम, 1985 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जिसे अपने अनुसूचित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का दायित्व सौंपा गया है। इन उत्पादों में ताजे फल और सब्जियों, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों और पशु खाद्य उत्पादों की लगभग 800 टैरिफ लाइने शामिल हैं और 17 उत्पाद श्रेणियां शामिल हैं। एपीडा बासमती

चावल का पंजीकृत स्वामी है और जैविक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के कार्यान्वयन के लिए सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है।
अपने अनुसूचित उत्पादों के संबंध में सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए, पर्याप्त निधियों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए एपीडा आंतरिक जुटाव, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं के साथ अभिसरण और आगामी 16वें वित्त आयोग चक्र (2026-31) के तहत सरकार से निधियाँ प्राप्त करने के माध्यम से अपने फंड्स और संसाधनों को बढ़ाने पर काम कर रहा है।

(ख) और (ग) किसानों, एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन), निर्यातकों सहित कृषि-निर्यात मूल्य श्रृंखला में हितधारकों की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए, एपीडा ने अपने प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पहल को बढ़ाया है। राज्य सरकार की एजेंसियों, कृषि विज्ञान केंद्रों, आईसीएआर (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद), अनुसंधान संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों और एनआईएफटीईएम (राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान), सीएफटीआरआई (केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान) आदि जैसे संस्थानों के समन्वय में वास्तविक और हाईब्रिड मोड में केंद्रित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सत्र चलाए जा रहे हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों, आयात करने वाले देश की आवश्यकताओं, बेहतर कृषि अभ्यासों, गुणवत्ता नियंत्रण, बेहतर पैकेजिंग, विपणन रणनीतियों आदि पर संवेदनशीलता बढ़ाई जा सके। वर्तमान वित्त वर्ष में, अब तक, लगभग 1 लाख हितधारकों की भागीदारी के साथ पूरे भारत में 900 से अधिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सत्र आयोजित किए गए हैं।

(घ) एपीडा अपने मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से अपने हितधारकों से साप्ताहिक आधार पर उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने और समस्याओं के समाधान हेतु संपर्क करता है। बाजार विकास घटक के संबंध में, व्यापार मेलों और क्रेता-विक्रेता बैठकों के प्रतिभागियों (प्रदर्शकों, खरीदारों आदि) से प्रतिक्रिया प्राप्त करने की एक प्रणाली मौजूद है, ताकि एपीडा की भागीदारी को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। आगामी 16वें वित्त आयोग चक्र (2026-31) में योजना और उसके दिशानिर्देशों में संशोधन और अद्यतन के लिए बाजार विकास सहित सभी योजना घटकों के लिए विस्तृत प्रतिक्रिया भी प्राप्त की गई है।

*****